न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी जिला नीमकाथाना (राज.)

...रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद पत्र संख्या 198 / 2024 GCMS NO. 2024/415 उनवानी जितेन्द्र सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतडी जिला नीमकाथाना (राज0) अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 बाबत नाम दुरूस्ती	
...3.11.2024	अधिवक्ता वादीगण के निवेदन पर पत्रावली रिकार्ड से तलब होकर आज पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित आये। वादीगण मौखिक साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। अतः साक्ष्यवादी बन्द की जाती है। अधिवक्ता वादीगण के निवेदन पर बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। वादीगण ने हस्तगत वाद पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह चाहा है कि राजस्व ग्राम जसरापुर पटवार हल्का जसरापुर तहसील खेतडी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 607 के खसरा नम्बर 91 रकबा 0.02 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 92 रकबा 2.10 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.12 हेक्टेयर में दर्ज वादी संख्या 1 के पिता का नाम सायर सिंह पुत्र शिवलाल हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सायर सिंह पुत्र श्योपाल सिंह व वादी संख्या 2 के पति का नाम सज्जन सिंह पुत्र शिवलाल हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सज्जन सिंह पुत्र श्योपाल सिंह घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं तहसीलदार खेतडी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि राजस्व ग्राम जसरापुर की जमाबन्दी संवत 2027–2030 के खाता संख्या 367 के खसरा नम्बर 85 व 122 में वादी संख्या 1 के दादा व वादिया संख्या 2 के ससुर का नाम शिवपाल सिंह पुत्र भगवान सिंह दर्ज रिकार्ड है। खसरा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नम्बर 85 व 122 से हाल खसरा नम्बर 91 व 92 निर्मित हुये है। मिसल हैकियत संवत 2043 के खाता संख्या 429 के खसरा नम्बर 91 व 92 में वादी संख्या 1 के दादा व वादिया संख्या 2 के ससुर का नाम शिवपालसिंह दर्ज रिकार्ड है। जिसमें शिवपालसिंह की विरासत भी खोली गई है। हाल जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 607 के खसरा नम्बर 91 व 92 में शिवलाल दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार खेतडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया है कि वादीगण के अन्य दस्तावेजों में श्योपाल सिंह दर्ज है। तहसीलदार खेतडी ने शिवलाल के स्थान पर श्योपाल सिंह शुद्ध करने की अभिशंषा की है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप पत्रावली पर उप[illegible] रिकार्ड व तहसीलदार खेतडी की जांच रिपोर्ट क्रमांक राजस्व / 2024 / 1067 दिनांक 10.09.2024 में की गई [illegible] आधार पर वादीगण का हस्तगत वाद पत्र स्वीका[illegible] राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने योग्य है। लिहाजा **–: आदेश :–** अतः वादीगण का हस्तगत वाद पत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम जसरापुर पटवार हल्का जसरापुर की हाल जमाबन्दी संवत 2073–2076 के हाल खाता संख्या 607 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि **सज्जनसिंह पुत्र शिवलाल, सायरसिंह पुत्र शिवलाल** के स्थान पर **सज्जन सिंह पुत्र श्योपाल सिंह, सायर सिंह पुत्र श्योपाल सिंह** शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) खेतडी को राजस्व रिकार्ड	

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dh
Date: 2024.12.09 17:19:59 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो, तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को आदेश की प्रति सहित तहरीर जारी हो। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)

(बन्शी धर योगी)
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.12.09 17:19:59 IST
Reason: SelfAttested